

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र

क्रमांक 78 / नागौर / 2012–2013

यह प्रमाणित किया जाता है कि सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू जिला नागौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28/1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण—पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक सत्रह माह सितम्बर सन् दो हजार बारह को नागौर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ

कार्यालय उा। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर

क्रमांक/संस्था/रजि./नागौर/3586

दिनांक 17-9-2012

श्री संतननानकदास चेलाडी झंडू देवीपाल

आपको

संगुरु कबीर उमामात सेवा संस्थान बड़ी बधाई

विषय— राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 78 / नागौर / 2012-2013
दिनांक 17-9-2012 संलग्न हैं जिसकी प्राप्ति सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4(क) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आमसभा के 14 दिवस में निम्न लिखित सूचनाएं भेजना अनिवार्य हैं।

1. संस्था के मामलों का प्रबंध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकायों के शासकों, सचालकों, न्यासियों के नाम, पते, पैसे की सूचना मय पद भिजवायें।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तन को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों एवं विनियमों की एक तारीख सहित सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, सचालकों, न्यासों, या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों ने दिये गये अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो आपको इसके अन्दर इस कार्यालय को पहुँच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4(क) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें की ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध होने के पश्चात् वृत्ति जारी रहती है, पचास रुपये से अधिक नहीं। यदि काई व्यक्ति धारा 4 के अधिन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 के अधिन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनके किये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानाबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है या करवाता है। तो अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो 2000 रुपये तक का हो सकता है।

नोट— इस कार्यालय में भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं वर्ष अंकित करें।

संलग्न— प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रार संस्था
सहकारी समितियां नागौर

सत्गुरु कबीर आश्रम सेवा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था लड़ी रवाई

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम सत्गुरु कबीर आश्रम सेवा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था
लड़ी रवाई है।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय द्वारा लड़ी रवाई
तथा कार्यक्षेत्र:- आश्रम छिक्की भागों तक सीमित
तथा इसका कार्यक्षेत्र नागोर त्रिलोक क्षेत्र तक सीमित
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- ① धर्म निष्पेक्षता का जनहित में और जन कल्याण का कार्य
- ② सत्गुरु कबीर साहब के आदर्श विचारों एवं शिक्षाओं का
- समाज / हितभूत प्रसार और शृणिवीयों को दूर करना
- अशुद्ध विष-पात्रों (वस्तुओं) का सेवन संखें
- विप्रदेश के माध्यम से छुड़वाना
- निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

- ५ द्यानीप स्वं बहार से आये हुए खेतों साधारणे और
८. भवतों को आवास भोजन उपलब्ध करवाना।
- ९ ६ वृक्षारोपण, पर्यावरण, जल संरक्षण कर लाना।
१०. रुद्रवाणी करवाना।
- ११ ७ अनन्त क्षेत्र खुलवाना स्वं गरीबों के लिए भोजन करपड़ों की वित्तना।
१२. अनाथालय व खुलवाना।
- १३ ८ सत्तुगुरु के बोरे (भूमि, रसायन) प्रकाशन, प्रभात
१५. खरी, व सल्यंगका आयोजन करवाना।
१०. द्यान, पौरा, सुमरण थोरा, शाहद सुरती चाला सिखाना करवाना।
११. विश्व शान्ति वस करवाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

105



सत गुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान

बड़ी खाट्, जिला-नागौर

क्रमांक-78/नागौर/2012

दिनांक 17/9/2012

तुलनात्मक स्टेटमेंट फ़िल्मोंका २०/७/२०१४

तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्नप्रकार से प्रस्तुत है -

क्र.स.	विधान की धारा	विधान का पुराना नियम	विधान का नया नियम
1	2	जिला स्तर नागौर	राज्य स्तर राजस्थान
2	3	1 से 11 तक यथावत रहेगा	
			<p style="text-align: center;">१२. केंद्र सरकार राज्य सरकार के सांसद, राज्यसभा/लोक सभा सदस्य, सरपंच प्रधान, विधायक के कोटे से दिये जाने वाले अनुदान को संस्थान में कार्यकारी एजेंसी स्वंम बनकर निर्माण कार्य करवाएगी।</p> <p style="text-align: center;">१३. जननी सुरक्षा कार्यक्रमों की जानकारी देना, कुपोषण उन्मूलन के कार्यक्रम चलाना, अनैतिक कार्यों को रोकना, परिवार नियोजन, स्वंय सहायता समूह का गठन करना, किसान समूह का गठन करना, जनसंख्या नियंत्रण इनसे सम्बन्धित कार्यकर्मों का संचालन करना, विभिन्न सरकारी आरोग्य केन्द्रों पर काउन्टर जानकारी देना।</p>

सर्व्य प्राविलोग्य

रजिस्ट्रार सर्व्याए, नागौर

8/2

Suresh
कोषाद्यक्ष
सत गुरु कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खाट् (नागौर)

\$
संघिव
सत गुरु कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खाट् (नागौर)

प्रिया नानाहाट
अध्यक्ष
सत गुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ा खाट् (नागौर)

१५. विभिन्न विद्यालय व् महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा की सलाह देना ,शिक्षा के अधिकारों की जानकारी देना एवं प्रवेश काउन्सिलिंग करना हस्त शिल्प के कार्यक्रमों को बढ़ाना व् संचालित करना तथा प्रशिक्षित करना ।

१६. संस्थान समय समय पर निरीह प्राणी,पशु पक्षी, सरक्षित पक्षी से सम्बन्धित जानकारी देना एवं संरक्षित श्रेणी के पौधे रोपण, वृक्ष सरक्षण, पर्यावरण सरक्षण, एवं व्यवसायिक वृक्षों के बारे में जानकारी देना, व्यवसायिक पौधों को जन सहयोग से वितरण करना, सरक्षित पेड़ पौधों की जानकारी देना एवं सरक्षण करना, हरियाली को बढ़ावा देना ।

१७. संस्थान समय पर प्रदूषण रोकना, प्रदूषण कैसे कम हो इसके सम्बन्ध में जागरूकता फैलाना, विभिन्न कल कारखानों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय बताना, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से उत्पन्न रोगों की जानकारी देना एवं निवारण से सम्बन्धित कैम्पो का आयोजन करना ।

१८. निर्धन वर्ग को निःशुल्क शिक्षा व् रोजगार के सम्बन्ध में बताना, विधवा आश्रम, विशेष योग्यजनाश्रम आदि की स्थापना करना एवं इन्हें चलाना, शारीरिक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति व आदिवासी वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विकास करना, आदि की स्थापना करना एवं इस शैत्र में सहयोग करना एवं इन सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना तथा न्यायलयी प्रकरणों में काउन्सिलिंग कर आपसी सहमती से समझौता करवाना आदि ।

१९. श्रमिक उत्थान का कार्य करना, श्रमिकों को आर्थिक सहायता दिलवाना एवं विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं इनको संचालित करना। संस्थान बेरोजगार युवक युवतियों को सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में

कल्याणकारी
सत्यगुरु कबीर आश्रम सेवा
राज्यान, बड़ी खाटू (नागौर)

कल्याणकारी
सत्यगुरु कबीर आश्रम सेवा
राज्यान, बड़ी खाटू (नागौर)

अधिकारी नाम
राजगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खाटू (नागौर)



- रोजगार प्राप्त करने के लिए सहयोग व मदद करेगी।
- १९ विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण वसूली कार्यक्रमों, विभिन्न वित्तिय संस्थाओं द्वारा जन मानस को मिलने वाली रोजगार प्रोत्साहन राशि, ऋण, वित्तिय अनुदान आदि में सहयोग करना व जानकारी देना | संस्थान ग्रामीण जन विकास व किसानों के विकास हेतु किसान क्लबों का गठन करना।
- २० गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियन्त्रण, ऐड्स सुरक्षा एवं जागरूकता, कुष्ठ रोग जागरूकता, रोग उन्मूलन कार्यक्रम करना एवं कैम्प लगाना तथा रोगों की जानकारी देना, नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाना व कैम्प आयोजित करना, वृद्धजनों को रोगों से बचने के बारे में बताना एवं अन्य रोग सुरक्षा हेतु उपाय बताना।
- २१ युवको व् महिलाओं को स्वरोजगार व् आत्म निर्भरता के सम्बन्ध में कार्यक्रमों का संचालन करना, महिला सशक्तिकरण पर कार्य करना, स्वय सहायता समूह का गठन करना, महिला रोग उन्मूलन के कार्यक्रम चलाना, जननी सुरक्षा कार्यक्रमों की जानकारी देना, कुपोषण उन्मूलन के कार्यक्रम चलाना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना एवं उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, बाल विवाह को रोकना एवं इससे सम्बन्धित कुरुतियों के बारे में जागरूक करना, अनैतिक कार्यों का रोकना, हस्त शिल्प कार्यक्रमों को बढ़ाना व् संचालित करना तथा प्रशिक्षित करना।
- २२ संस्थान समय समय परिवार नियोजन, जनसंख्या नियन्त्रण इनसे संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना, विभिन्न सरकारी आरोग्य केंद्रों पर काउंटर जानकारी देना, विभिन्न विद्यालय वह महाविद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा की सलाह देना, शिक्षा के अधिकारों की जानकारी देना एवं प्रवेश काउंसलिंग कराना।
- २३ संस्थान समय-समय पर निरीह प्राणी, पशु पक्षी, संरक्षित पक्षी से सम्बन्धित जानकारी देना एवं संरक्षित श्रेणी के पक्षियों का संरक्षण करना।

संघ प्रांतालोप
१८२

शिल्पियों द्वारा देवा

सत्त्वनुल कवीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी ऊद (लागौर)

पुस्तक
सत्त्वनुल कवीर आश्रम सेवा
न द्वारा देवा

निरीह कवीर आश्रम सेवा संस्थान
न द्वारा देवा

- २४ जल संरक्षण जल प्रबंधन जल स्रोतों के विकास कार्य वह कायशालाओं का आयोजन करना पीने योग्य जल का दुरुपयोग रोकना भूजल स्तर बढ़ाने से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना वर्षा जल संग्रहण के बारे में जन जागरूकता फैलाना एवं उससे संबंधित उपाय बताना एवं जन सहयोग से इसका क्रियान्वयन करना।
- २५ वृक्षारोपण वन संरक्षण पौधरोपण वृक्ष संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संतुलन से संबंधित कार्य करना एवं इनको बढ़ावा देना व्यवसायिक वृक्षों के बारे में जानकारी देना व्यवसायिक पौधों को जन सहयोग से वितरण करना संरक्षित पेड़ पौधों की जानकारी देना एवं संरक्षक करना हरियाली को बढ़ावा देना।
- २६ संस्थान का उद्देश्य निर्धन गरीब असहाय विधवा वृद्ध जन के सहायतार्थ कार्य करना विकलांगों वह बच्चों के विकास के लिए कार्य करना बाल मजदूरी रोकना मानव तस्करी जैसे कृतियों को रोकना इनके प्रति जन जागरूकता पैदा करना सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को उपरोक्त सभी कार्यों के लिए नियत मापदंडों के बारे में बताना बाल विकास बाल शिक्षा अन्य निर्धन वर्ग को निशुल्क शिक्षा रोजगार के संबंध में बताना विधवा आश्रम बाल आश्रम वर्धा आश्रम विशेष योग्यजन आश्रम अनाथालय आदि की स्थापना करना एवं इन्हें चलाना शारीरिक पिछ़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति वह आदिवासी वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विकास कार्य करना, बाल बाड़ी शिशु गृह आदि की स्थापना करना एवं इस क्षेत्र में सहयोग करना एवं इन सभी को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना तथा न्यायालय प्रकरणों में काउंसलिंग कर आपसी सहमति से समझौता करवाना।
- २७ संस्थान अपने उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसायिक तकनीकी औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना संचालित करना एवं इनसे संबंधित जानकारी देना श्रमिक उत्थान का कार्य करना श्रमिकों को आर्थिक सहायता दिलवाना एवं विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी श्रमिक



Smt. S. K. Singh
काशीद्यक्षा
मृतगुरु कवीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी ऊदू (नालौद)
संस्थान, बड़ी ऊदू (नालौद)

Shri. S. K. Singh
मृतगुरु कवीर आश्रम सेवा
बड़ी ऊदू (नालौद)

F. No. 11-7-16
अध्यक्ष
मृतगुरु कवीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी ऊदू (नालौद)

कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं इनको संगलित करना

- २६ ।। संस्थान समय-समय पर यातायात नियमों की जानकारी देना यातायात शिक्षा को बढ़ावा देना सड़क सुरक्षा के कार्यों का संचालन करना, चालक लाइसेंस एवं वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देना लाइसेंस केंपों का आयोजन करना सड़क सुरक्षा व दुर्घटना में किए जाने वाले त्वरित कार्यों के बारे में बताना। संस्थान बेरोजगार युवक-युवतियों को सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में रोजगार प्राप्त करने के लिए सहयोग में मदद करेगी इसी क्षेत्र में विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण वसूली कार्यक्रम में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनमानस को मिलने वाली रोजगार प्रोत्साहन राशि ऋणी वित्तीय अनुदान आदि में सहयोग करना में जानकारीदेना।
- २७ ।। संस्थान ग्रामीण जन विकास हेतु उन्नत कृषि कार्यक्रमों का संचालन करना उन्नत कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना मुर्गी पालन गोपालन प्राकृतिक खाद उत्पादन के बारे में बताना सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाना प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता बताना एवं उनसे संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जैविक खाद की जानकारी देना मृदा उर्वरता के बारे में बताना समय-समय पर मृदा जांच केंपों का आयोजन करना आर्थिक दृष्टि से पिछड़े किसानों को मुख्यधारा से जोड़ना तथा उन्नत कृषि व उन्नत कृषि संसाधनों की जानकारी देना।
- २८ ।। संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं अपने उद्देश्यों के संबंधित कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु समय-समय पर सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार केंद्र सरकार विभाग समाज कल्याण बोर्ड देशी संस्था, मंत्रालय, व्यक्तिगत दानदाता, एजेंसी, विदेशी संस्थान, जनप्रतिनिधि, जन सहयोगी, ट्रस्ट, बैंक, वित्तीय संस्था, गैर सरकारी संस्था, एन.आर.आई.व्यक्ति, नाबार्ड, कपार्ड, निराड, यूनिसेफ, काई

संस्था प्रावालोपे

२८


राजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, जानकौरी

महाराष्ट्र कबीर आश्रम सेवा
संस्था, बड़ी जादू (लालगौर),
लालगौर, बड़ी जादू (लालगौर)


संघीय
महाराष्ट्र कबीर आश्रम सेवा
राजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, जानकौरी

संघीय
महाराष्ट्र कबीर आश्रम सेवा संस्थान
लालगौर (नामगौर)

(110)



शिप्सा, अवार्ड, हुडको, आर.एस.डी.पी. मानव संसाधन
मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग अन्य सरकारी व गैर
सरकारी संस्थाएं से सहयोग प्राप्त करेगी एवं इन सभी के
द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सहयोगी रहेगी इनके द्वारा
प्रदत्त कार्यों का क्रियांवयन करेगी इन से संबंधित सभी
कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करने
में मदद करेगी एवं प्रदत्त कार्यक्रम का संचालन करेगी।



अध्यक्ष

मेरा प्राप्ति ३१८
अध्यक्ष
तत्त्वजुल काबां आश्रम सेवा संस्था
५१ लाटू (नगोर)

संघीय
सरानाल कबीर आश्रम सेवा
लड़ी लाटू (नागोर)

Superb
कोषालीयांशुद्योग
सरानाल कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी जाटू (लालौर)

मुलायम लाटू की उथिगिरम १९५८ न्हीं धारा १९ के अन्तर्गत दृष्टि
प्रमाणीय है। इसके द्वारा एक एक्सामिनर के संबंध में प्रस्तुत किये गए
पत्र, जो कार्यालय की प्रावाली में पृष्ठ १०५ के १०५ के ११० पर
तक उल्लिख है, वो प्रमाणित प्रति है।

प्रमाणित किया गया है। ०४-९-२०१८
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार, संस्थाएं वाले

संस्था का नाम— सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू
पंजीयन क्रमांक—78 / नागौर / 2012-2013


दिनांक—17.09.2012

(170)

(170)

नव निर्वाचित कार्यकारिणी की सूची दिनांक—15.12.2019

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद
1	संत श्री नानकदास	चेला श्री महंत देवीदास जी	अध्यक्ष
2	श्री देवीलाल	पुत्र श्री मदनलाल	उपाध्यक्ष
3	श्री सुरेश मेघवाल	पुत्र श्री मदनलाल	कोषाध्यक्ष
4	श्री वेद प्रकाश गौड़	पुत्र श्री बिहारीलाल गौड़	सचिव
5	श्रीमती बूलकी देवी	पत्नी श्री मेघाराम	संचालक सदस्य
6	श्री बलदेवराम चौधरी	पुत्र श्री जेठाराम चौधरी	संचालक सदस्य
7	श्री सुखदेव चौयल	पुत्र श्री गणपतराम चौयल	संचालक सदस्य



अध्यक्ष



सचिव



कोषाध्यक्ष

चुनाव अधिकारी
प्रभारी

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू

प्रभारी
अध्यक्ष

सतगुरु

Sachiv / मंत्री

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू

Koshayaksh
कोषाध्यक्ष

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की धरा 19 के अन्तर्गत यह
प्रभारी किया जाता है कि यह प्राप्ति संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गए
पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं..... 161 तौ..... 170 तक
तक उपलब्ध हैं, की प्रमाणित प्रति हैं।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक..... 20-12-2019 नक्ल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार, संस्थाएं नागौर

(144)

संस्था का नाम सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ीखाटू
रजि.क्रमांक-78 / नागौर / 2012-13

दिनांक-17.09.2012

संरक्षा की आम सभा दिनांक-26.08.2019 में लिये गये संशोधन प्रस्ताव का
तुलनात्मकर विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान	संशोधित विधान
1	11	<p>कार्यकारिणी का गठन:- संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष-1 2. उपाध्यक्ष-1, 3. सचिव-1, 4. उप सचिव-1, 5. कोषाध्यक्ष-1, 6. सदस्य-10 <p>इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में 5 पदाधिकारी व 10 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।</p>	<p>कार्यकारिणी का गठन:- संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष-1 2. उपाध्यक्ष-1, 3. सचिव-1, 4. कोषाध्यक्ष-1, 5. सदस्य-03 <p>इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में 4 पदाधिकारी व 03 सदस्य कुल 07 सदस्य होंगे।</p>

प्रति वर्ष 16
अध्यक्षस्थान
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खाटू (नागौर) राजस्थान सौराष्ट्री अधिभित्ता 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत संस्था के रांची में प्रत्युत विवरण

Vedprakosh Gurur
प्रति वर्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खाटू (नागौर)
मंत्री

कोषाध्यक्ष
कापाध्यक्ष आश्रम सेवा
संस्था कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खाटू (नागौर)

प्रमाणित प्रति वर्ष की दिनांक 01-10-2019
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर
2019
रजिस्ट्रेट, संस्थाएं जांचें



भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त-द्वितीय
आयकर भवन
पावडा सी रोड, जोधपुर - 342010

फा.स. 20/002

दिनांक : 09/09/2014

आवेदक वारा नाम एवं पता : सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान (PAN-AAJAS1741G), बड़ी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान।
आदेश वारा तिथि व क्रमांक : 09/09/2014, 53/006

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अधीन आदेश

दिनांक 17/09/2012 को बनाई गई संस्था सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान ने दिनांक 02/05/2014 को फार्म नं. 10ए में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

2. संस्था के उद्देश्य की प्रकृति धर्मार्थ है। अतः इस संस्था का निर्धारण वर्ष 2013-14 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अधीन पंजीकरण किया जाता है। धारा 12एए के अधीन पंजीकरण हेतु इस कार्यालय में बनाए गए रजिस्टर में क्रम सं. 53/006 पर इस आवेदन को दर्ज किया गया है। इस न्यास/संस्था का पंजीकरण दिनांक 01/04/2014 से प्रभावी होगा।

इस संस्था का पंजीकरण निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :-

- (i) संस्था अपनी आय का संचयन अथवा अनुप्रयोग पूर्णतः तथा अनन्य रूप से उसी उद्देश्य के लिए करेगी, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है।
- (ii) यह आदेश इस संस्था को व्यापार/कारोबार की आय से हुए किसी प्रकार के फ़ायदे अथवा लाभ पर लागू नहीं होगा जब तक कि यह व्यापार/कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक न हो तथा इस प्रकार के व्यापार/कारोबार के लिए अलग से लेखा-बहियाँ बनाई गई हों।
- (iii) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 में दिए प्रावधानों के अनुरूप अपनी आयकर विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारियों के पास दाखिल करेंगी।
- (iv) विषयन/भाग होने की स्थिति में, इसके अधिशेष तथा आस्तियां ऐसे ही उद्देश्यों वाली किसी अन्य संस्था को दे दी जाएंगी। इसका कोई भी भाग संस्था के किसी भी सदस्य को नहीं दिया जाएगा।
- (v) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (5) में बताए गए किसी एक अथवा अधिक तरीकों के अतिरिक्त संस्था अपनी निधि को (स्वैच्छिक रूप से प्राप्त अंशदान तथा आभूषणों तथा फर्नीचर के रूप में रखे गए सामान के अतिरिक्त) किसी भी अवधि के लिए कहीं भी निवेश अथवा जमा नहीं करेगी।

-ह.-

(ओ.पी. मीना)

आयकर आयुक्त-द्वितीय,

जोधपुर

क्रमांक:आ.आ.-द्वितीय/जोध./2014-15/1069

दिनांक:-09/09/2014

प्रतिलिपि:-

- ✓ सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान।
2. श्रीमान् आयकर संयुक्त आयुक्त, रेंज-नागौर।
 3. श्रीमान् आयकर अधिकारी, वार्ड-1, नागौर। धारा 12एए(3) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आयकर आयुक्त उपरोक्त पंजीकरण को कभी भी रद्द कर सकते हैं। निर्धारण अधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारिती की वार्षिक विवरणी की ध्यानपूर्वक जांच करें तथा इन्हें सत्यापित कर लें। अब आगे से निर्धारिती द्वारा ये आयकर विवरणी के साथ जमा की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 तथा 12 में दी गई शर्तों तथा इस संबंध में के.प्र.कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पूरा करती है।

प्रमोद एम. कर्वे
(प्रमोद एम. कर्वे)

सहायक आयकर आयुक्त (मुख्या.)
कृते आयकर आयुक्त-द्वितीय, जोधपुर



भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त-द्वितीय
आयकर भवन
पावठा सी रोड, जोधपुर - 342010

फा.सं. 20/002

दिनांक : 11/09/2014

आवेदक का नाम एवं पता : सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान (PAN-AAJAS1741C), बड़ी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान।

आदेश की तिथि व क्रमांक : 11/09/2014, 43/255

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के अधीन आदेश

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के अधीन निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अनुसार दानकर्ता के लिए कटौती का पात्र होगा। यह छूट दिनांक 02/05/2014 से मान्य होगी।

यह अनुमोदन निरंतर अगले आदेशों तक वैध रहेगा। परन्तु यदि भविष्य में कभी भी आयकर आयुक्त इस बात से संतुष्ट होते हैं कि इस संस्था की गतिविधियाँ ठीक नहीं हैं अथवा संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं हैं अथवा आयकर अधिनियम के इससे संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन हो गया है, तो इस संस्था को दिए गए अनुमोदन को वापस लेने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

-ह-

(ओ. पी. मीना)

आयकर आयुक्त-द्वितीय,

जोधपुर

- नोट :-1. लेखा विवरणियाँ, प्राप्तियाँ तथा खर्च और तुलन पत्र प्रति वर्ष आयकर अधिकारी, वार्ड-1, नागौर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
 2. संघटन में यदि कोई बदलाव किया गया है तो इसकी सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी जाए।

क्रमांक:-आ.आ.-द्वितीय/जोध./2014-15/1106

दिनांक:-11/09/2014

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान।
 2. श्रीमान् आयकर संयुक्त आयुक्त, रेंज-नागौर।
 3. श्रीमान् आयकर अधिकारी, वार्ड-1, नागौर। धारा 12ए(3) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आयकर आयुक्त उपरोक्त पंजीकरण को कभी भी रद्द कर सकते हैं। निर्धारण अधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारिती की वार्षिक विवरणी की ध्यानपूर्वक जांच करें तथा इन्हें सत्यापित कर लें। अब आगे से निर्धारिती द्वारा ये आयकर विवरणी के साथ जमा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 तथा 12 में दी गई शर्तों तथा इस संबंध में के.प्र.कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पूरा करती है।

११५ अ०
 (प्रभाद एम. कवे)

सहायक आयकर आयुक्त (मुख्या.)

कृते आयकर आयुक्त-द्वितीय, जोधपुर



रजि.नं. ७८/नागोर/२०१२-१३

Unique ID of VO/NGO/RJ/2017/0173499

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान-बड़ीखादू

चापरी दुंगरी, संत कबीर नगर, मु.पो. बड़ीखादू, तह. जायल, जिला नागोर (राज.) ३४१३०१

परम पूज्य गुरुदेव १००८ श्री देवीदास जी महाराज की समाधि धाम

मो. ९९८३४६१२५१

Gmail ID: ndkhatu@gmail.com

क्रमांक.

विनांक.....

संस्थाध्यक्ष :
संत श्री नानकदास जी

महाराज

सरस्य :

केन्द्रीय टी-बार्ड भारत
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

सरकाक
संत सेवा परिषद, भारत

राष्ट्रीय संगठन मंत्री :
राष्ट्रीय संत सुरक्षा मिशन
भारत

सरकाक
वन्य जीव वन पर्यावरण
ग्रामीण विकास
संस्थान, बड़ीखादू



—निम्न आग्रोग भारत सरकार रजिस्ट्रेशन नं.—

Unique ID of VO/NGO/RJ/2017/0173499




पंतप्रधानमंत्री
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागोर)

उपाध्यक्ष :
श्री देवीलाल मेघवाल

सचिव :
श्री वेद प्रकाश गोड़

कोषाध्यक्ष :
श्री सुरेश कुमार



SBI-BADI KHATU CODE-32403 T.PH.0158-3249009 Email-sbi.32403@sbi.co.in

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that we are maintaining with our branch a current account in the name of
SATGURU KABIR AASHRAM SEVA SANSTHAN bearing A/C number 388963679566.

Mr. Sant Nanakdas is the President of the Society.

We are ready to accept the fund in the account subject to KYC compliance of the concerned
parties involved in any transaction.

A circular blue ink stamp is placed on the document. The stamp contains the text "सातगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान" in Devanagari script, "खतु" in Hindi, and "बैंक" in English. Below the stamp, the number "32403" and "T.PH.0158-3249009" are printed. Handwritten in blue ink across the stamp and to its right is the signature "SANT NANAKDAS" and the date "01.12.2020".